रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल
अनीता सर्मा, माननीय सदस्य (तकनीकी) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन क्रमांक : OA-IIu/BPL/250/2019
दावा पंजीकरण तिथि : 16-09-2019
आदेशार्थ रखने की तिथि : 20th August, 2025
आदेश तिथि : 03rd September, 2025

1) *श्रीमती सगुनाबाई पत्नी स्व0 श्री कार्तिकराम साबर,*
2) *आकाश पुत्र स्व0 श्री कार्तिकराम साबर,*
3) *केवल पुत्र स्व0 श्री कार्तिकराम साबर,*
4) *अंजली साबर पत्नी श्री सूरज साबर,*

निवासी–वार्ड नंबर–6, मुनगासर,
महासमुन्द, तहसील व जिला–महासमुन्द (छ0ग0) ....आवेदक

विरुध्द

भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
पूर्व तटीय रेलवे, भुवनेश्वर (ओडिसा) ....रेस्पांडेन्ट

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री आलोक तिवारी, आवेदक–अधिवक्ता
श्री ओमशंकर श्रीवास्तव, रेस्पांडेन्ट–अधिवक्ता

:: नि र्ण य ::

श्री अजय कुमार गर्ग, सदस्य (न्यायिक)

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता मृतक *कार्तिकराम साबर आत्मज स्व0 श्री बुलाकी साबर* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, 1987 के सेक्शन–16 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *आठ लाख* प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत इस आवेदन में कथन किया है कि 45 वर्षीय मृतक मजदूरी का कार्य करता था एंवं दिनांक 24-04-2018 को रायपुर स्टेशन से महासमुन्द रेलवे स्टेशन तक की यात्रा टिकट संख्या–UXB 42813761 लेकर दुर्ग–विशाखापट्टनम पैसेन्जर ट्रेन से कर रहा था एवं गाड़ी अत्याधिक भीड़ और उनके लगेज से पूरी तरह पैक थी तथा जब ट्रेन महासमुन्द स्टेशन पर पहुँच रही थी तभी अचानक गाड़ी में जर्क लगा और मृतक अपना संतुलन कायम नहीं रख पाया और नीचे गिर कर गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे बाद में पुलिस द्वारा महासमुन्द के सरकारी अस्पताल ले जाया गया और बाद में रायपुर के मैकाहारा अस्पताल रैफर कर दिया गया जहाँ पर उसने दम तोड़ दिया. अतः बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन मृतक पति/पिता की मृत्यु हो जाने से तथा माता–पिता की मृत्यु पहले ही हो जाने से पत्नी एवं संतान के तौर पर आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के आवेदक हकदार होने से यह दावा आवेदन पेश किया गया है.

निरंतर.........2/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल
11/09/25
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

2. रेस्पाडेन्ट ने जवाबदावे में दावे का विरोध करते हुए कहा है कि आवेदकों ने अपनी प्लीडिंग में घटना के समय मृतक के दुर्ग–विशाखापट्टनम पैसेन्जर ट्रेन (क्रमांक–58529) से यात्रा करना बताया है जबकि यह गाड़ी उस दिन निरस्त थी, ऐसी स्थिति में उसका उक्त ट्रेन से यात्रा करना बनावटी है, दूसरा उसके गाड़ी संख्या–22848 एक्सप्रेस के महासमुन्द स्टेशन पर रूकने से पूर्व ही चलती गाड़ी से गिरकर घायल होना पाया गया, हालांकि इसका भी कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तथा जो टिकट बताया गया है, वह उक्त गाड़ी के लिए वैध नहीं है. वहीं वैधानिक तरीके से की गई अपनी जांच रिपोर्ट में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक के गाड़ी से गिरकर घायल होने के बारे में गाड़ी के लोको पायलट को सूचित किया था जिस पर उसे प्राथमिक उपचार देकर घायल को 108 एम्बूलेन्स से इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. साथ ही रेस्पांडेन्ट ने यह तथ्य भी सामने रखा है कि घायल को मेकाहारा शासकीय अस्पताल, रायपुर उचित इलाज के लिए रैफर किया गया था जहॉ से घायल मृतक बिना किसी सूचना के गायब हो गया एवं वह हनुमान मंदिर, महादेव घाट, रायपुर में मृत अवस्था में पाया गया. घायल को घटना के समय दोनों पैरों में गंभीर चोटे आई थीं, ऐसा अत्याधिक घायल एवं चोटिल व्यक्ति बिना किसी सहारे अस्पताल से गायब होना और लगभग 10–12 किलोमीटर्स दूर मृत अवस्था में पाया जाना संभव नहीं है जो कि प्रकरण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है. रेस्पांडेन्ट ने यह भी कहा है कि घटना *सेल्फ–इन्फलेक्टेड इंजूरी* के अधीन आती है, जिसके लिए रेलवे जिम्मेदार न होने से मुआवजा देने से साफ तौर पर इनकार किया है एवं इसी आधार पर दावा आवेदन को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट की ओर से की गई है.

3. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of the deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway Administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

4. आवेदकों की ओर से मौखिक साक्षी के तौर पर कमांक–1 के *(AW/1)* साथ–साथ अन्य साक्षी के तौर पर श्री सूरज साबर पिता श्री स्वकीर्तन साबर का भी शपथपत्र *(AW/2)* के साथ लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-8* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं रेस्पाडेन्ट की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश किया गया है. आवेदक–साक्षी का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

निरंतर..........3/पर

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

5. आवेदक की ओर से अपनी बहस को लिखित तौर पर भी पेश किया गया, जिसमें निम्नलिखित न्यायदृष्टान्तों का सहारा लिया गया है :—

1) *माननीय एमपी हाईकोर्ट, अपील संख्या–7673/2023 भारतसंघ वि0 राहुल झसानिया, आदेश दिनांक 28.05.2024,*
2) *सुप्रीमकोर्ट, सिविल अपील संख्या–3799/2023, आदेश दिनांक 16.05.2023 कामुकाई एवं अन्य वि0 भारतसंघ,*
3) *माननीय एमपी हाईकोर्ट, अपील संख्या–2528/2021 जगदीश बारपेटे वि0 भारतसंघ, आदेश दिनांक 23.06.2022,*
4) *माननीय सुप्रीमकोर्ट, सिविल अपील संख्या–8605/2024 आदेश दिनांक 09.08.2024 डोली रानी साहा वि0 भारतसंघ,*
5) *माननीय एमपी हाईकोर्ट, अपील संख्या–23/2017 शारदा एवं अन्य वि0 भारतसंघ, आदेश दिनांक 31.10.2023,*

6. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों, प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों तथा लिखित बहस एवं रैफर किये गये माननीय सुप्रीमकोर्ट एवं विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायसिध्दान्तों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर हमारा निष्कर्ष इस प्रकार है :—

:: निष्कर्ष ::

इश्यूज कमांक–1 एवं 2 :

7. दोनों इश्यूज एकदूसरे में अन्तरनिहित होने से इनपर एकसाथ विचार किया जा रहा है. आवेदकों की ओर से दावा आवेदन यह अभिवचन किया गया है कि मृतक घटना दिनांक को रायपुर से महासमुन्द तक की यात्रा दुर्ग–विशाखापट्टनम पैसेन्जर से कर रहा था, किन्तु आवेदक के दोनों ही साक्षियों ने अपने–अपने शपथपत्र में कहा है कि घटना के दिन सुबह मृतक अपनी इलाहाबाद से रायपुर आया था एवं रायपुर में महासमुन्द तक का यात्रा टिकट खरीदकर अपनी आगे की यात्रा कर रहा था. आवेदक के दोनों ही साक्षी घटना के समय एवं यात्रा के समय मृतक के साथ नहीं थे, साक्षी–AW/1 के प्रति–परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि मृतक के यात्रा के टिकट दामाद अर्थात् साक्षी–AW/2 ने दिये थे, वहीं साक्षी–AW/2 की गवाही से यह तथ्य सामने आया है कि पुलिस ने ही मृतक के टिकट इसे दिये थे. आवेदकों की ओर फैजाबाद से रायपुर एवं रायपुर से महासमुन्द की यात्रा के दो टिकट मूल रूप से पेश किये हैं.

8. रेस्पांडेन्ट की ओर से *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003 के नियम–3* के अधीन वैधानिक तरीके से की गई रेस्पांडेन्ट की जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में आवेदकों द्वारा पेश किये गये यात्रा टिकट कमांक 42813761 (रायपुर से महासमुन्द) को जॉच अधिकारी द्वारा सत्यापन किये जाने का कहा है एवं मृतक के साथ घटना को इस प्रकार से स्वीकार किया है कि दिनांक 24-04-2018 के समय लगभग 21–27 बजे जब गाड़ी संख्या–22848 (लोकमान्य तिलक टर्मिनस–विशाखापट्टनम) सुपरफास्ट एक्सप्रेस महासमुन्द स्टेशन के प्लेटफार्म पर आई तो एक व्यक्ति ने इस गाड़ी के लोको पायलट को सूचित किया कि एक यात्री गाड़ी से गिर गया है जिस पर लोको पायलट एवं अन्य स्टॉफ के साथ घायल को अटैण्ड किया गया जिसके दोनों पैर चोटग्रस्त थे जिसे प्राथमिक उपचार देकर महासमुन्द के सरकारी अस्पताल ले जाया गया था. रेस्पांडेन्ट ने

निरंतर.........4/पर

S/D S/D

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि * भोपाल पीठ, भोपाल

यह भी कहा है कि आवेदकों की दावा की गाड़ी पैसेन्जर ट्रेन उस दिन निरस्त होने से घायल के पास पाया गया टिकट घटना ट्रेन–22484 के लिए वैध नहीं था. साथ ही मृतक द्वारा गाड़ी के रूकने से पूर्व ही चलती गाड़ी से उतरने के प्रयास में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होकर उसका यह कृत्य निश्चित तौर पर स्व–अधिरोपित चोट की घटना है.

9. रेस्पांडेन्ट की रिपोर्ट के अनुसार घायल होने के बाद मृतक को रायपुर के मैकहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहाँ से वह गायब हो गया और बाद में उसका शव अस्पताल से 10–12 किलोमीटर्स दूर पाया गया था, इस प्रकार जब मृतक के दोनों पैर क्षतिग्रस्त थे, तब उसका अस्पताल से इतने दूर शव पाया जाना निश्चित तौर पर घटना को अन्य रंग दे रहा है. अतः इस सम्बन्ध में लोकल पुलिस डीडीनगर, रायपुर में जांच भी लंबित है.

10. आवेदक की ओर से अपनी बहस के दौरान माननीय सुप्रीमकोर्ट एवं माननीय हाईकोर्ट्स के न्यायसिध्दान्तों का हवाला देते हुए यह कहा है कि इन सभी न्यायसिध्दान्तों के अनुसार मृतक घटना के समय पेश किये गये यात्रा टिकट के आधार पर बोनाफाइड पैसेन्जर था एवं महासमुन्द स्टेशन पर उसके साथ जो घटना घटित हुई है, वह अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन ही चलती गाड़ी से गिरने से आई चोटों की है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ए–5) के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण उसे आई हुई चोटें ही हैं.

11. रेस्पांडेन्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में यह तर्क पेश किये गये हैं जिस दिनांक की घटना है और रायपुर से महासमुन्द का जो टिकट दिया गया है, वह घटना वाली ट्रेन का नहीं है क्योंकि टिकट पैसेन्जर ट्रेन का है जबकि घटना सुपरफास्ट ट्रेन से घटित हुई है और पैसेन्जर ट्रेन उस दिन निरस्त थी. हालांकि विद्वान अधिवक्ता यह भी स्वीकार कर रहे हैं कि मृतक के साथ घटना घटित हुई है एवं उसे तुरन्त प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल ले जाया गया था जहाँ से उसे डॉ0भीमराव आम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर के लिए रैफर किया गया था एवं इस अस्पताल से सूचना के अधिकार के अन्तर्गत जानकारी मांगे जाने पर (आर–1/22) के अनुसार मरीज कार्तिकराम पिता बुलकी दिनांक 25–04–2018 के समय 03–00–30 एएम को आपात चिकित्सा विभाग में उपचार हेतु आया था, जिसे आपात चिकित्सा अधिकारी द्वारा सर्जरी, अस्थिरोग विभाग में आगे उपचार हेतु भेजा गया, किन्तु मरीज चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर से समय 03–15 एएम को बिना पूर्व सूचना के ही चला गया तथा मरीज के उपचार सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, बताया गया. अतः दोनों पैर कश्ड इंजूरी के मृतक का गायब होना निश्चित तौर पर घटना अन्य की ओर इशारा कर रही है.

12. इस पर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा पूरजोर विरोध करते हुए कहा गया है कि ऐसा मरीज दोनों पैरों, जिसमें से एक कटा हुआ और दूसरा बिलकुल कटी हुई अवस्था में कैसे भाग सकता है, इसीलिए आवेदकों ने इस सम्बन्ध में पुलिस को शिकायत की है.

निरंतर......5/पर

015 S/D

रेल दावा अधिकरण * भोपाल पीठ, भोपाल * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

13. हमने पत्रावलि का गहराई से अवलोकन किया एवं बुनियादी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य तथा लिखित बहस के अलावा मौखिक तौर पर पेश की गई दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यान से सुना. चूँकि दस्तावेजी साक्ष्यों से अंतिम तौर पर यह तथ्य सामने आया है कि मृतक महासमुन्द स्टेशन पर गाड़ी संख्या–22848 से उतरते समय घायल हुआ है एवं तत्समय उसके पास रायपुर से महासमुन्द तक की यात्रा का टिकट भी प्राप्त हुआ है, इसलिए आवेदकों के दावा आवेदन में मृतक दुर्ग–विशाखापट्टनम पैसेन्जर ट्रेन से घटना होने की प्लीडिंग एवं मृतक के फैंजाबाद/इलाहाबाद से रायपुर आने की प्लीडिंग न किये जाने को हम इस एक्ट के कल्याणकारी विधायी एक्ट होने को देखते हुए नजरअंदाज करते हैं.

14. स्टेशन मैमो (ए–1/पेज–7) से साबित होता है कि मृतक गाड़ी कमांक–22848 से महासमुन्द स्टेशन के प्लेटफार्म पर चलती गाड़ी से उतरते समय गिर गया था, वहीं ए–1 के पेज–9 पर आरपीएफ की दिनांक 21–11–2018 की रिपोर्ट हमारे सामने है एवं इस रिपोर्ट के अनुसार मृतक के पास रायपुर से महासमुन्द का टिकट पाया गया है एवं घटना उसके गाड़ी रूकने से पहले ही प्लेटफार्म पर चलती गाड़ी से उतरने के दौरान घटित होना स्वीकार किया गया है तो इस प्रकार की घटनाओं को रैफर किये गये माननीय सुप्रीमकोर्ट एवं विभिन्न हाईकोर्ट के न्यायसिध्दान्तों में अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की ही श्रेणी में मान्य किया है. साथ ही माननीय एमपी हाईकोर्ट के उल्लेखित *अपील संख्या–2528/2021 जगदीश बारपेटे वि0 भारतसंघ, आदेश दिनांक 23.06.2022* को ध्यान में रखते हुए हम रेस्पांडेन्ट के इस तर्क को विधि–सम्मत नहीं होने से अस्वीकार करते हैं कि मृतक के पास सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट नहीं था, इसलिए वह बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था. साथ ही मृतक द्वारा गाड़ी रूकने से पूर्व ही चलती गाड़ी से उतरने का जहाँ तक प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में श्री माननीय उच्च न्यायालय, आन्ध्रप्रदेश, हैदराबाद की पूर्ण पीठ ने अपने प्रकरण *(UoI, SCR V/s Kurukundu Balakrishnaiah and Others* (ACJ.2004/Vol-I, pg- 529) में. ......*सद्भावी यात्री के साथ ट्रेनों से उतरते अथवा चढ़ते समय की होने वाली दुर्घटनापूर्ण*.........घटनाओं को भी रेल अधिनियम, 1989 की धारा–*123 (C) (2)* में पूर्ण रूपेण शामिल किये जाने को देखते हुए हम रेस्पांडेन्ट के इस तर्क को भी दरकिनार करते हैं कि घटना के लिए मृतक की यह लापरवाही थी.

15. प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण यह पहलू है कि दस्तावेज ए–1/पेज–10 के अनुसार मृतक के दोनों ही पैरों के पंजे, पैरों से अलग ही हुए थे, अर्थात् दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे तथा उसे इलाज हेतु रायपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ से वह गायब हो गया था, जिसकी बाद में उसी दिन करीबन 10–12 किलोमीटर दूर शव पाया गया था अतः रेस्पांडेन्ट का यह तर्क कि मृतक का इस तरह से भाग जाना, आवेदकों को प्रतिकर देने से रोकता है. हमने मृतक की पेश की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट (ए–5) को ध्यान से देखा. इसमें मृत्यु का कारण उसे आई हुई चोटें से होना दिया गया है जो कि मृतक को उक्त अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन आई थीं, न कि कोई अन्य कारण दर्शाया गया है. इस प्रकार सिलसिलेवार कम जोड़ने से यही प्रमाणित हो रहा है कि मृतक महासमुन्द स्टेशन पर दिनांक 24–04–2018 को अनटुवर्ड

निरंतर.........6/पर

S/D

S/D

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

इंसीडेन्ट के अधीन घायल हो जाने पर उसे पहले महासमुन्द के सरकारी अस्पताल एवं बाद में रायपुर के डॉ0 भीमराव आम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और कुछ ही मिनटों बाद वह गायब हो गया तथा नक्शा–पंचायतनामा (ए–4) के अनुसार इसी तारीख के सुबह 9 बजे के पहले उसका मृत शरीर हनुमान मंदिर के पास, महादेव घाट, रायपुर में पाया गया. इस प्रकार उसके घायल होने, अस्पताल में भर्ती होने एवं अस्पताल से गायब होने के कुछ ही घंटों बाद उसका इन्हीं चोटों से मृत्यु होने को हम स्वीकार करते हैं. रेस्पांडेन्ट की ओर से दिनांक 12–11–2020 को दाखिल अपने जवाबदावा एवं डीआरएम रिपोर्ट में मृतक के सम्बन्ध में रायपुर के पं0दीनदयाल उपाध्याय नगर थाने में पुलिस द्वारा जाँच किये जाने और जाँच लंबित होने का कथन किया है जिस सम्बन्ध में पीठ द्वारा स्टेटस रिपोर्ट मंगाई गई थी जिस पर रेस्पांडेन्ट की ओर से लिखित में यह बताया गया है कि (आर–1/166) मर्ग संख्या–15/2018 का रेकार्ड एसपी/पुरानी बस्ती, रायपुर (छ0ग0) के आदेशानुसार नष्ट किया जा चुका है जिसकी मर्ग डायरी नस्तीबध्द किये जाने का दस्तावेज भी पेश किया गया है.

16. अतः हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि आवेदकों ने पूख्ता तौर पर यह साबित कर दिया हैं कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (C) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के तौर पर यात्रा करते समय अनटुवर्ड इंसीडेन्ट की परिस्थितियों में ही घटित हुई थी एवं उक्त घटना में वह घायल हो गया था एवं आई हुई इन्हीं चोटों से ही उसकी अस्पताल से दूर मृत्यु हुई थी. चूँकि रेलवे की ओर से उल्लेखित न्यायसिध्दान्तों के विरूध्द कोई न्यायसिध्दान्त प्रस्तुत नहीं किये हैं इसलिए आवेदकों की ओर से उल्लेखित न्यायसिध्दान्तों का लाभ आवेदक पक्ष को दिया जाता है. तदनुसार साबित होने से इश्यूज कमांक–1 एवं 2 का विनिश्चय आवेदकों के ही पक्ष में किया जाता है.

<u>इश्यूज कमांक–3 :</u>

17. चूँकि घटना को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–124 A* के अपवादों में होने को पूख्ता सबूतों द्वारा साबित करने में रेस्पांडेन्ट असमर्थ रहा हैं इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

<u>इश्यूज कमांक–4 एवं 5 :</u>

18. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति/पिता की मृत्यु होने से तथा मृतक के माता–पिता की भी मृत्यु हो चुकी होने से पत्नी एवं संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से आवेदकों ने यह दावा दाखिल किया है व अपने–आप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से बुनियादी दस्तावेजों के अलावा आवेदकों के आधारकार्ड, बैंक पासबुक तथा माता–पिता की मृत्यु का प्रमाणपत्र *(A-7 & 8)* आदि दस्तावेजी साक्ष्य पेश की है. कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होने पर मृतक की पत्नी ने सशपथ मृतक को अपना पति तथा शेष आवेदकों को मृतक की संतान कहा है. इस प्रकार आवेदक–साक्षी की

निरंतर.......7/पर

810

015

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

गवाही एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी एवं संतान होने के नाते सभी आवेदक *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (B)(i)* के अधीन मृतक के आश्रित मान्य किये जाते हैं.

19. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

20. माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* की अनुसूची के भाग–एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *24-04-2018* से वास्तविक भुगतान तिथि तक *07%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित गणित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

21. अतः दावा आवेदन स्वीकार किया जाता हैं और रेस्पांडेन्ट रेलवे प्रशासन को प्रतिकर राशि रूपये 8,00,000/- (राशि रूपये आठ लाख) एवं इस पर घटना की तिथि अर्थात् दिनांक 24.04.2018 से भुगतान तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है.

22. रेस्पांडेन्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के भीतर अपर पंजीयक/रेदाअ/भोपाल के सूटर्स खाते में मुआवजा राशि को जमा करेगा तथा अपर पंजीयक/रेल दावा अधिकरण आवेदक/कों/लाभार्थी/यों के बैंक डिटेल्स वेरिफाई करने के बाद दिये गये आदेश के अनुसार प्रतिकर राशि का भुगतान करेगा.

23. जहाँ तक अवार्ड की गई राशि के वितरण का सवाल है तो इस सम्बन्ध में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा गीता देवी वि० भारतसंघ में पारित निर्णय के पैरा–5 के अनुसरण में, वर्तमान मामले में ब्याज सहित प्रतिकर राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जाएगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relationship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1)	सगुना बारी	पत्नी	52	5,00,000/-
2)	आकाश	पुत्र	28	1,00,000/-
3)	केवल	पुत्र	27	1,00,000/-
4)	अंजली सबर	पुत्री	30	1,00,000/-

24. सभी लाभार्थियों के उक्त तालिका के कॉलम–5 की राशि में से 10-10% राशि एवं इस पर आनुपातिक ब्याज को ECS/NEFT के द्वारा उसके संबंधित बचत बैंक खाते में तत्काल

शेष.........8/पर

S/D S/D

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण भोपाल पीठ, भोपाल — प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि

जारी कर दिया जाएगा एवं शेष 90% राशि एवं आनुपातिक ब्याज को उनके निवास स्थान के निकट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसके नाम से 05 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट किया जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज का मासिक तौर पर भुगतान किया जाएगा.

25. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा.

26. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे. अपर पंजीयक उक्त का सत्यापन करने के बाद उक्त दावा राशि का दिये गये आदेशानुसार भुगतान करेगा.

27. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से एक माह के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

28. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर).

29. बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

30. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

31. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

32. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

33. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

S/D 03/09/25

(अनीता शर्मा) 03/09/2025
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 03rd September, 2025 को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

S/D 03/09/2025

(अनीता शर्मा)
सदस्य (तकनीकी)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

S/D 03/09/25

(अजय कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

11/09/25

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेल दावा अधिकरण * भोपाल पीठ * प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि